APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...त उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

रामभरोसी बनाम प्रमोद

मुकदमा 88,89,90 नं. 26 सन् 24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/25	~~पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11~~ पेश कर प्रतिवादी की ओर से निवेदन किया गया है कि वादीगण ने उनके संयुक्त खाते की आराजी ख०न0 13 रकबा 4.85 है० में से 0.96 है0 मध्य की तरफ वाके ग्राम गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2007 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज की गई जिसका वादी रामस्वरूप ने उक्त आराजी पर जाने के लिये ग्राम गंगायचा से होकर जमीन तक जाने का रास्ता दिया है जो वर्तमान में भी मौजूद है। इसी प्रकार वादीगण ने उक्त ख०नं0 13 रकबा 3.89 है० वाके ग्राम गंगायचा में से एक भाग आराजी रकबा 1.44 है० (9 बीघा) उत्तरी – पूर्वी साईड का विक्रय जरये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2011 द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी आत्मज छोटेलाल जी को किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी क्रेता श्री ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी के नाम दर्ज हुई जिसका नवीन ख०नं० 664/13 रकबा 1.44 है0 दर्ज किया गया तथा उक्त विक्रय पत्र में वर्णित दिशा अनुसार ही उक्त आराजी की तरमीम की गई तथा उसी अनुसार कब्जा दिया गया तत्पश्चात श्री ज्ञान प्रकाश जी ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 10.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने पुत्र व पुत्रवधू को दान कर दी जिसके आधार पर उक्त आराजी ख०नं0 664/13 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर दर्ज दिशा अनुसार खाते दर्ज की गई है तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम की गई है तथा उक्तानुसार ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज हैं जिसके विरूद्ध वादीगण ने यह वाद पत्र प्रस्तत किया है जो विधि द्वारा पोषणीय नही है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर उक्त आराजी विक्रय की है तथा उक्त दस्तावेज में दिशा उल्लेख की है जिसके अनुसार ही उक्त आराजी की तरमीम की है। इसलिये कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किये गये इन्द्रज को उक्तानुसार चुनौती देने का वादीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत बउनवान रामस्वरूप बनाम सरकार, प्रमोद वगैरा प्रकरण संख्या 142/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां तरमीम को दुरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया था जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2024 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार वादीगण ने प्रस्तुत वाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दिया है जिसका विनिश्चय माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में कर दिया है इसलिये पुनः उसी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद कानूनी रूप से मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। पक्षकारो के मध्य प्रतिवादीगण के खाते में स्थित आराजी के संबंध में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है एवं स्वयं वादीगण के खाते में वर्तमान में स्थित आराजी के संबंध में भी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिये वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न होने से प्रस्तुत वाद, वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी/अप्रार्थी की कृषि आराजी खसरा संख्या 13 मे कब्जेकाश्त की भूमि है, जिसमे में से 634/13 एवं 664/13 दोनो टुकडे अप्रार्थी द्वारा ही प्रार्थी/प्रतिवादी को रजिस्टर्ड बेचान किया गया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त बेचान के अपने–अपने हिस्से की कृषि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे, जिसमे पूर्व में मार्च 2024 मे ही प्रार्थी द्वारा मौके पर अपने स्वंय के कब्जेकाश्त की कृषि आराजी पर फसल तैयार करवाई गई, एवं फसल की निवग्न रूप से कटाई करवाई गई। प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो से मिलीभगत कर राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम करवाई गई, जिसके बाद मै सहमति से प्रार्थी प्रमोद एवं अप्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित होकर हस्ताक्षरित कर उक्त गलत तरमीम को राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाऐ जाने के चलते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु पूर्व मे भी गलत तरमीम का फायदा उठाने हेतु प्रार्थी आमादा होने के चलते ही एवं उक्त तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे इस स्टेज पर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से खारिज करबाऐ जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है, जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा गलत तरमीम को दुरुस्त करने हेतु पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 आर एल एक्ट प्रस्तुत किया गया था, जो मेरिट पर सुनवाई किये बिना ही प्रारंभिक स्टेज पर ही अनुचित तरीके से खारिज फरमाया जा चुका है, जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां की जा चुकी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय निरस्त फरमाए जाने का आदेश प्रदान करें। अप्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2007 एवं विक्रय पत्र 25.07.2011 पेश किये गये। वादीगण ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत बउनवान रामस्वरूप बनाम सरकार, प्रमोद वगैरा प्रकरण संख्या 142/2022 न्यायालय हाजा में तरमीम दुरस्ती हेतु प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2024 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार वादीगण ने प्रस्तुत वाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दिया है जिसका विनिश्चय न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में कर दिया है इसलिये पुनः उसी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद कानूनी रूप से मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण ने उनके संयुक्त खाते की आराजी खसरा नंबर 13 रकबा 4.85 हेक्टेयर में से 0.96 हेक्टेयर मध्य की तरफ वाके ग्राम गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का विक्रय जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.8.2007 द्वारा प्रतिवादीगण को कब्जा सुपुर्द किया है। उक्तानुंसार ही नक्शे में तरमीम की गई। इसी प्रकार वादीगण ने उक्त खसरा नं0 13 रकबा 3.89 हेक्टेयर ग्राम गंगायचा में से एक भाग आराजी रकबा 1.44 हेक्टेयर उत्तरी पूर्वी साइड का विक्रय जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.7.2011 श्री ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी पुत्र छोटेलाल जी को किया है। उक्त विक्रय पत्र में वर्णित दिशा अनुसार ही उक्त आराजी की तरमीम की गई तथा उसी अनुसार कब्जा दिया गया। तत्पश्चात श्री ज्ञान प्रकाश जी ने उक्त आराजी जरिए रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 10.9.2020 को प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 को अपने पुत्र व पुत्रवधू को दान कर दी जिसके आधार पर उक्त आराजी खसरा नंबर 664/13 प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की गई। प्रार्थी गण द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर उक्त आराजी विक्रय की है तथा उक्त दस्तावेज में दिशा उल्लेख की है जिसके अनुसार ही उक्त आराजी की तरमीम की है। इसीलिए कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किये गये इन्द्राज की दुरुस्ती किया जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2017(1) पेज 1 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि **यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत नही आता है, यह धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है–तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिए।** उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। उक्त निर्णय आज दिनांक 9/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 9/4/25